

SHANTANI
Advocate
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad



सत्यमेव जयते

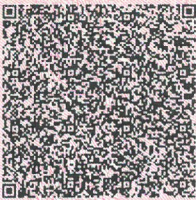
INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC Name: Sudesh Kumar Sharma
ACC Code: UP 14073804
Licence No.: 371
Contact: +919211585568
Ad.: Ch. No. 58 Tehsil Ghaziabad

Certificate No. : IN-UP03380256818371T
Certificate Issued Date : 18-Oct-2021 11:20 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14073804/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1407380495947562251828T
Purchased by : MUKESH KUMAR EDUCATION TRUST
Description of Document : Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description : KHASRA NO-208 VILLAGE HAQIQATPUR URF KHUDA BAS LONI GZB
Consideration Price (Rs.) :
First Party : MUKESH KUMAR EDUCATION TRUST
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : MUKESH KUMAR EDUCATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.) : 750
(Seven Hundred And Fifty only)



Locked By
Sub Registrar Loni Ist
Distt., Ghaziabad

-----Please write or type below this line-----

Apshay Singh

B. Singh

QT 0003681657

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



1221866000

दिनांक-18/10/2021

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)**स्मृति-पत्र**

ट्रस्ट का फण्ड—10,000 /—रूपये, के अतिरिक्त वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई भी अन्य चल-अचल सम्पत्ति नहीं है।

स्टाम्प अंकन—750 /—रूपये

1— ट्रस्ट का नाम— **मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट**

2—पंजीकृत कार्यालय—खसरा नं०-208, ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबांस, तहसील लोनी, जिला गायिजाबाद उ०प्र० में स्थित होगा जो आवश्यकतानुसार भारत कि किसी अन्य स्थान पर बदला जा सकता है।

3— कार्य का क्षेत्र—समस्त भारत वर्ष
ट्रस्ट की अपनी कोई निजि सम्पत्ति नहीं है।

ट्रस्ट के उद्देश्य—

मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

I— मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट का प्रबन्ध व संचालन करना।

II—ट्रस्ट द्वारा सामाजिक शिक्षा के परिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

III—इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी प्रकार से हिन्दी, अंग्रेजी, ब्रज तथा अन्य भाषा के उत्थान हेतु स्कूल व धार्मिक संस्था को स्थापित करना तथा उन्हें आगे बढ़ाना तथा उनका आधुनिकरण करना और उनमें तकनीशियन शिक्षा स्थापित करना।

IV—इस ट्रस्ट द्वारा सभी जाति व धर्मों के बच्चों, विद्यार्थियों तथा निर्धन छात्र-छात्राओं की शैक्षिक, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उनकी सहायता करना तथा उनके उत्थान हेतु प्रयत्न करना। तथा निर्धन बच्चों निःशुल्क किताबों कपड़ों की व्यवस्था कराना व प्रयोग शाला का प्रबन्ध करना व पढाई के लिए कमरों का प्रबन्ध करना।

Akshay Singh

B. Singh

आवेदन सं०: 202101028030079

न्यास पत्र

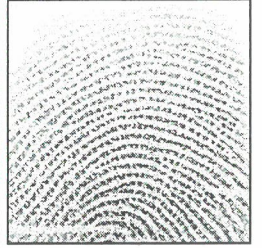
बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 9247

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पेजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा
अक्षय सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री स्व० मुकेश कुमार वर्मा
व्यवसाय: अन्य
निवासी: थर्ड-एल/19, नेहरू नगर, गाजियाबाद



श्री, मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा

अक्षय सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/10/2021 एवं
02:51:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० एस० वर्मा
उप निबंधक : लौनी
गाजियाबाद
18/10/2021

अजीत कुमार सागर
निबंधक लिपिक

V—इस ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्थाओं व अन्य दूसरी शैक्षिक संस्थाओं में सभी प्रकार से उपरोक्त भाषा के उत्थान हेतु प्रचार व प्रसार करना।

VI—समाज की सेवा हेतु धर्मशाला व सर्वधर्म समभाव के तहत पूजा घरों, पुस्तकालय, हैण्ड पम्प, निःशुल्क चिकित्सालय आदि की स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध करना व संचालन करना।

VII—इस ट्रस्ट द्वारा वृद्ध आश्रम चलाना व योग सिखाना मुख्य उद्देश्य होगा। तथा ट्रस्ट के द्वारा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करवाया जायेगा व विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा द्वारा सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षित करना।

VIII—इस ट्रस्ट द्वारा गोशाला बनाना उद्देश्य होगा तथा शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षो द्वारा शिक्षा प्रचार व प्रसार करना।

XI—इस ट्रस्ट द्वारा जितनी संस्थाएँ संचालित की जायेगी उनमें छात्र तथा छात्राओं दोनों के लिए स्थापित की जायेगी व ट्रस्ट चल-अचल सम्पति ग्रहण कर सकता है तथा निराश्रित एवं समाज में परित्यक्त व्यक्तियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखा जायेगा।

X—पर्यावरण की रक्षा एवं प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता।

XI—लघु उद्योग प्ररिक्षण देना तथा खेल-कूद केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

XII—ट्रस्ट द्वारा प्राइमरी, सेकेन्ड्री, सिनियर सेकेन्ड्री, तकनीकी आयुश चिकित्सा व डिग्री कालेज की स्थापना व संचालन करना।

Akshay Singh

B. Singh

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 9247

वर्ष: 2021

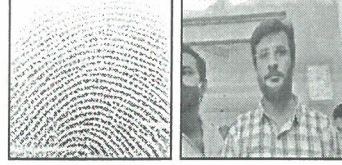
निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा अक्षय सिंह, पुत्र श्री
स्व० मुकेश कुमार वर्मा

निवासी: थर्ड-एल/19, नेहरू नगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

न्यासी: 2

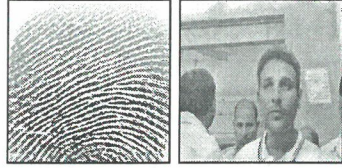


श्री भूपेन्द्र सिंह, पुत्र श्री स्व० मुकेश कुमार वर्मा

निवासी: थर्ड-एल/19, नेहरू नगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

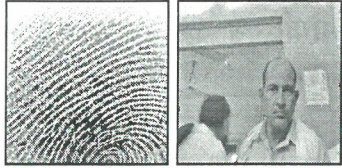


श्री साजिद हुसैन, पुत्र श्री मौ० यासीन

निवासी: 51, अशोक विहार, लोनी देहात, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

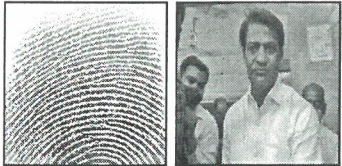
पहचानकर्ता: 2



श्री योगेश कुमार, पुत्र श्री स्व० दाता राम

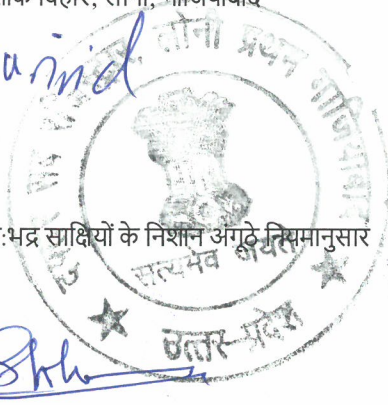
निवासी: 8, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अगुटे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० एस० वर्मा
उप निबंधक : लोनी
गाजियाबाद

अजीत कुमार सागर
निबंधक लिपिक

ट्रस्ट मण्डल-ट्रस्टी मण्डल के सदस्यों के निदेशको के नाम, पते पद एवं व्यवसाय जिनको ट्रस्ट के नियमानुसार ट्रस्ट का भार सौंपा गया है-

क्रम सं. नाम/पिता का नाम	पता	पद
1. श्री अक्षय सिंह पुत्र स्व० श्री मुकेश कुमार वर्मा	थर्ड-एल/19, नेहरू नगर, गाजियाबाद।	अध्यक्ष
2 भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री मुकेश कुमार वर्मा	थर्ड-एल/19, नेहरू नगर, गाजियाबाद	सचिव
3. श्रीमती विभा चौधरी पत्नी श्री अक्षय सिंह	थर्ड-एल/19, नेहरू नगर, गाजियाबाद।	सहसचिव

Akshay Singh

B. Singh



SHANTANI
Advocate
Tehsil Comptroller & Loni
Ghaziabad

Akshay Singh





नियमावली

- 1-ट्रस्ट का नाम-**मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट**
- 2-पंजीकृत कार्यालय-ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय-खसरा नं0-208, ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबांस, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद उ0प्र0 में स्थित होगा तथा आवश्यकता के अनुसार समस्त भारत वर्ष में किसी भी अन्य स्थान पर बदला जा सकता है।
- 3-कार्य क्षेत्र-समस्त भारत वर्ष
- 4-इलाका या क्षेत्र का अर्थ समस्त भारत वर्ष
- 5-वित्तीय वर्ष-ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष राज्य सरकार द्वारा प्रचालित अवधि।
- 6-संस्था का अर्थ-मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा भविष्य में स्थापित अन्य संस्थाओं का संचालन।
- 7-ट्रस्ट का उद्देश्य-स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार होगा।
- 8-समिति का अर्थ-ट्रस्ट/ट्रस्ट मंडल।
- 9-सभा का अर्थ-ट्रस्ट की साधारण सभा।
- 10-ट्रस्ट की सदस्यता-प्रत्येक स्त्री पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो ट्रस्ट की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। ट्रस्ट मंडल की स्वीकृति पर सदस्यता प्रदान की जा सकेगी उपरोक्त ट्रस्ट का फण्ड 10,000/-रुपये से आरम्भ होगा।
- 11-सदस्यों के वर्ग-ट्रस्ट में सदस्यों के प्रकार निम्न होंगे-

Abha Singh

B. Singh





I—संस्थापक सदस्य—ट्रस्ट के कम से कम तीन संस्थापक सदस्य होंगे जो निदेशक कहलायेंगे तथा इनके पद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के होंगे तथा इनके कर्तव्य अधिकार ट्रस्ट की नियमावली में लिखे अनुसार होंगे। तथा इनके द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम व फाईल होगा। इनके निर्णय को किसी भी दशा में चुनौती नहीं दी जायेगी ट्रस्ट में कोई भी नॉमिनेट सदस्य ट्रस्ट को नुकसान पहुँचाता है या ट्रस्ट के नाम से कोई गलत कार्य करता है या कहना नहीं मानता है तो बाकी सदस्य मिलकर उसके खिलाफ कोई भी फैसला लेकर सदस्य को हटा सकते हैं, ये सदस्य निम्न हैं—

I—प्रथम निदेशक	—	नाम — श्री अक्षय सिंह
II—द्वितीय निदेशक	—	नाम — भूपेन्द्र सिंह

अध्यक्ष / सचिव / सहसचिव / कोषाध्यक्ष

II-आजीवन सदस्य—जो व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए एक मुस्त रुपये 5100/—या उससे अधिक शुल्क के साथ आवेदन पत्र देगा निदेशक मण्डल को स्वीकृति पर आजीवन सदस्य बन जायेगा।

III—साधारण सदस्य—जो व्यक्ति ट्रस्ट को सदस्य बनने के लिए एक मुस्त 2100/—रुपये या इससे अधिक रूपयों के साथ सदस्यता का आवेदन पत्र देगा निदेशक मण्डल को स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिए साधारण सदस्य बन सकेगा।

IV—सम्मानित सदस्य—निदेशक मण्डल किसी भी विद्वान व्यक्ति एवं अन्य को सम्मानित सदस्यता प्रदान कर सकता है। समयावधि निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की जायेगी। सदस्यता शुल्क की रकम परिवर्तित करने का अधिकार प्रथम व द्वितीय निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

Akshay Singh

B. Singh



12-ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण करने की शर्तें-प्रत्येक व्यक्ति जो बालिग व स्वास्थ्य मानसिकता का हो बिना किसी लिंग धर्म जाति समुदाय, बिरादरी आदि भेद के जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के तरीको तथा भारतीय संविधान में आस्था रखता हो या पूर्णरूप से सहमत हो वे सदस्यों के प्रकरण के अनुसार इस ट्रस्ट के सदस्य बन सकते हैं।

13- ट्रस्ट को सदस्यता की समाप्ति-

I. मृत्यु हो जाने पर

II. त्याग पत्र देने तथा त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर

III. पागल या दिवालिया घोषित हो जाने पर या किसी न्यायलय आयोग या किसी विभाग द्वारा गम्भीर अपराधों का दोषी सिद्ध हो जाने पर या ऐसे कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध हो अर्थात् समाज के लिये हानि कारक हो। बशर्ते कि ऐसे सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी सफाई प्रस्तुत करने का उचित अवसर या कम से कम 15 दिन का समय दिया गया हो।

14-साधारण सभा-सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा होगी।

15-साधारण सभा के कार्य-

I-साधारण सभा के सदस्यगण संस्थापक सदस्यों को छोड़कर पांच वर्ष के लिए निदेशक मण्डल का संस्थापक सदस्य स्वतः ही निदेशक मण्डल में शामिल रहेंगे।

II-ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निदेशक मण्डल के लिये कार्य योजना की स्वीकृति देना।

III-ट्रस्ट के आय-व्यय को पारित करना।

IV-वार्षिक बजट तैयार करना।

V-निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव की स्वीकृति देना।

VI-निदेशक मण्डल में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उसे संस्थापक सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करना।

Akshay Singh

B. Singh



16-निदेशक मण्डल के कर्तव्य एवं अधिकार-

- I-ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य योजना तैयार करना तथा उनको कार्यान्वित करना।
- II-ट्रस्ट के आवश्यकानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनसे सम्बन्धित सेवा नियमावली तथा वेतन निर्धारण करना।
- III-ट्रस्ट के कर्मचारियों के विवादों का निस्तारण करना।
- IV-साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करना।
- V-निदेशक मण्डल के निदेशकों का कार्य विभाजन करना।
- VI-सभी प्रकार की आय-व्यय का रख-रखाव करना तथा उसे पारित करना।
- VII-चल-अचल सम्पत्ति का रख-रखाव करना।
- VIII-समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाहियों का सम्पादन करना।
- IX-निदेशक मण्डल के निदेशकों को कार्य निर्धारण करना तथा उत्तरदायित्व सौंपना।
- X-सभी प्रकार के अनुदान लेना तथा उनका उपयोग करना।
- XI-भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मानव कल्याण हेतु इकाईयों को सम्बद्धता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना।

Abhay Singh

B. Singh



17-बैठकें-

I. पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम पांच साधारण सभा की बैठक होना अनिवार्य हैं।

II. निदेशक मण्डल की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार होना अनिवार्य है।

18-कोरम-साधारण सभा के कम से कम $1/3$ सदस्यों की उपस्थिति पर कोरम पूरा माना जायेगा। निदेशक मण्डल के $2/5$ की उपस्थिति पर कोरम पूरा माना जायेगा।

निदेशक मण्डल के अधिकार व कर्तव्य-

I-नियमावली में दर्शाये गये समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना।

II-ट्रस्ट की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति का नियमावली के अनुसार प्रबन्ध करना तथा अनुरक्षण करना।

III-आगामी वर्ष के लिये कामों की सूची तैयार करना, बजट बनाना और वार्षिक आय-व्यय तथा सम्पन्न किये गये कार्यों की वार्षिक सम्मेलन में पुष्टि करना।

IV-ट्रस्ट तथा ट्रस्ट की संस्थाओं के वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करना, नियुक्ति करना, हटाना, वेतन तथा भत्ते आदि निर्धारित करना, उनका भुगतान करना आदि।

V-ट्रस्ट की आय के साधन बढ़ाने के प्रयास करना, नये सदस्य बढ़ाना, पुरस्कार अनुदान, ऐच्छिक चन्दों से धन की प्राप्ति करना आदि।

VI-अविश्वास तथा अन्य ऐसे मामले जिनके लिये सभा की स्वीकृति जरूरी हैं।

VII. ऐसे समस्त मामले जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो या आवश्यक हो और उनके कार्य क्षेत्र में आते हो, करना और उसमें सहयोग लेना-देना व अन्य कार्यों के लिये ट्रस्ट की स्वीकृति से करना।

VII-समय-समय पर नियमावली अथवा स्मृति-पत्र में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना और उसकी पुष्टि सभा में करना।

Abhay Singh

B. Singh



साधारण सभा के पदाधिकारियों के पृथक-पृथक कर्तव्य एवं अधिकार—

(A) प्रथम निदेशक (अध्यक्ष)

निदेशक के कर्तव्य तथा अधिकार निम्नवत होंगे—

I—ट्रस्ट तथा साधारण सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना, द्वितीय निदेशक के द्वारा एजेन्डा भिजवाना।

II—आवश्यकतानुसार स्वयं अथवा सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर ट्रस्ट अथवा साधारण सभा की बैठक बुलाने का आदेश देना।

III—ट्रस्ट की ओर से जमीन व भवन आदि का क्रय-विक्रय पट्टे आदि तथा लाभप्रद स्कीमों पर ट्रस्ट की ओर से धन लागाने का द्वितीय निदेशक को आदेश देना, उनके द्वारा स्वीकृतार्थ आदि के कागजों पर द्वितीय निदेशक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

IV—ऐसे समस्त कार्य करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक एवं सहायक हो।

V—ट्रस्ट की ओर से दान प्राप्त करना।

VI—**मुकेश कुमार एजुकेशनल ट्रस्ट** का बैंक में स्वयं का खाता संचालन करना तथा संस्था द्वारा स्थापित संस्थाओं के समस्त कर्मचारियों स्टाफ आदि का वेतन विवरण करना।

VII—प्रथम निदेशक की आज्ञा से ट्रस्ट या स्वयं अपनी इच्छानुसार साधारण सभा की बैठको को बुलाना, कार्यवाही करना, पत्र व्यवहार करना।

VIII—प्रथम निदेशक की सहायता से आय-व्यय का लेखा रखना, बजट बेलेन्स शीट तैयार कराना।

Akshay Singh

B. Singh



- IX-ट्रस्ट की समस्त दस्तावेज रिकार्ड आदि का रखरखाव रखना तथा निगरानी करना।
- X-द्वितीय निदेशक के साथ बैंको में अन्य संयुक्त खातों का संचालन, वेतन भत्ते तथा समस्त अदायगी बिलों का भुगतान करना।
- XI-ट्रस्ट के वार्षिक सम्मेलन में वार्षिक रिपोर्ट, बजट, आगामी वर्ष के कार्यों की सूची स्वीकृति हेतु गत वर्ष के सम्पन्न कार्यों तथा आय-व्यय की पुष्टि हेतु कागजात प्रस्तुत करना।
- XII-ट्रस्ट सम्बन्धित मुकदमात की पैरवी करना या कराना।
- XIII-ऐसे समस्त कार्य जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक या सहायक हो करना।
- XIV-सदस्यता ग्रहण करने के आवेदन पत्रों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करना, ऑडिट आपत्तियों का अपने स्तर से निराकरण करना।
- XV-ट्रस्ट की ओर से मालियात, इमलाक आदि क्रय-विक्रय पट्टे आदि लाभप्रद स्कीमों पर धन लगाना तथा उनके मुआहिदात आदि पर स्वयं या प्रथम निदेशक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

Akshay Singh

B. Singh



(B) द्वितीय निदेशक (सचिव)

द्वितीय निदेशक के कर्तव्य एवं अधिकार निम्नवत् होंगे—

I—ट्रस्ट का द्वितीय निदेशक कार्यों का उच्चतम अधिकारी होगा। नियमावली में वर्णित तथा ट्रस्ट द्वारा समय-2 पर पारित प्रस्ताव तथा नियम के अन्तर्गत दैनिक कार्य के सम्पन्न करने में पूर्णतया जिम्मेदारी द्वितीय निदेशक की होगी।

XII—यदि ट्रस्ट में अधिक विवाद उत्पन्न हो जाता है, समाप्त नहीं होता है या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में द्वितीय निदेशक स्वयं अपने आदेश से या निदेशक मण्डल के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा कार्यकारिणी को भंग करना।

XIII—ट्रस्ट के समस्त खातों के आय-व्यय का लेखा रखना, हिसाब से सम्बन्धित कैश बुक, गार्ड फाईल, स्टाफ पंजिका, वेतन पंजिका आदि का लेखा रखना।

XIV—वार्षिक तथा असाधारण ऑडिट के लिये निश्चित तिथि पर ट्रस्ट के अभिलेख ऑडिट के सम्मुख प्रस्तुत करना और ऑडिट कराना तथा गत वर्ष के ऑडिट आपत्ति का निराकरण करना।

(C) द्वितीय निदेशक (सचिव)

संस्था के कोष से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें

- (I) धनराशि का इन्द्राज करना।
- (II) संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
- (III) अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

Abhay Singh

B. Singh



साधारण सभा की ओर से अथवा साधारण सभा के विरुद्ध अदालती कार्यवाहीयों में साधारण सभा के प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारी—

I—प्रथम निदेशक सा. सभा की ओर से अथवा सा. सभा के विरुद्ध अथवा प्रशासनिक अथवा न्यायायिक कार्यवाही/मुकदमात में स्वयं पैरवी अथवा अपने प्रतिलिनिधि द्वारा करायेगा।

II—यदि प्रथम निदेशक किसी कार्य में व्यस्त या स्वयं किन्हीं कारणवश सा. सभा का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हो, वह किसी भी पदाधिकारी/सदस्य अथवा सा. सभा से बाहर के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर कार्यवाही/मुकदमात में पैरवी करा सकता है प्रतिबन्ध यह होगा कि द्वितीय निदेशक अपने प्रतिनिधि को लिखित मुख्तारनामा देगा। तथा सभी कानूनी कार्यवाही के अधिकार द्वितीय निदेशक के पास सुरक्षित होंगे।

आय—व्यय का लेखा रखने की व्यवस्था—

I—प्रथम निदेशक ट्रस्ट व सा. सभा के समस्त आय—व्यय का लेखा रखेगा।

हिसाब से सम्बन्धित कैश बुक, रसीद बुक, गार्ड फाईल, स्टाफ पंजिका, वेतन पंजिका आदि का रख रखाव रखना।

II—प्रथम निदेशक सा. सभा के समस्त बैंक खातों का संचालन करेंगे।

III—प्रथम निदेशक आय—व्यय का लेखा व बेलेन्स शीट तथा बजट तैयार करेगा।

IV—प्रथम निदेशक सा. सभा के कर्मचारियों सा. सभा द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं से सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि बिलों का भुगतान करेगा।

लेखा परिक्षा (ऑडिटो) की व्यवस्था—

I—ट्रस्ट अपने खातों के आडिटर की नियुक्ति कर सकता है।

II—प्रथम निदेशक, वार्षिक तथा असाधारण ऑडिट के लिए निश्चित तय समिति व तिथि पर सा० सभा के अभिलेखों को ऑडिट में प्रस्तुत करेंगे।

III—प्रथम निदेशक ट्रस्ट के खातों का वर्ष में एक बार ऑडिट अवश्य करायेगें।

Akshay Singh

B. Singh



नियमों में संशोधन की व्यवस्था—

I—इस नियमावली के नियमों में कोई भी संशोधन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट—1860 की धारा—12 के अन्तर्गत किया जा सकता है तथा ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट—1860 की समस्त धारायें इस नियमावली पर भी लागू होंगी।

II—इस नियमावली में संशोधन ट्रस्ट की सा० सभा के सर्व सम्मति प्रस्ताव पारित होगा तथा संशोधन के प्रस्ताव की पुष्टि सा० सभा करेगी।

III—कोई भी ऐसा संशोधन जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध हो मान्य नहीं होगा परन्तु यदि उद्देश्यों में संशोधन आवश्यक हो तो संशोधन केवल साधारण सभा ही कर सकती है।

ट्रस्ट की विघटन की कार्यवाही—

I—ट्रस्ट की असाधारण बैठक में जो इसी उद्देश्य में बुलाई गई हो ट्रस्ट के कुल सदस्यों की 3/4 बहुमत से ट्रस्ट की तुरन्त अथवा किसी निश्चित समय पर जिसका निर्णय इसी बैठक में लिया जायेगा। एक्ट की धारा—13 के अन्तर्गत विघटन किया जा सकता है। जिसकी सूचना रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय सब रजिस्ट्रार को दी जायेगी और रजिस्ट्रार/क्षेत्रीय सब रजिस्ट्रार के विघटन की स्वीकृति के उपरान्त हो सा० सभा का समापन या विघटन समझा जायेगा।

II—ट्रस्ट के खाते में ट्रस्ट में वाजिवात की अदायगी के बाद ट्रस्ट का जो धन मालियात अथवा सम्पत्ति अवशेष रहे, उसको न तो किसी सदस्य को दिया जायेगा और न ही सदस्यों में तकसीम किया जायेगा अथवा इससे मिलते जुलते ही दिया जायेगा। इसका फैसला ट्रस्ट की अपनी बैठक में जो इसी उद्देश्य से बुलाई गई हो ट्रस्ट के हाजिर सदस्यों की 3/4 जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो किया जायेगा। विवाद उत्पन्न होने पर फैसला सम्बन्धित अदालत दीवानी करेगी।

III—ट्रस्ट का कार्यालय केवल पत्राचार आदि के लिये है, ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। ट्रस्ट का विघटन कानूनी कार्यवाही व ट्रस्ट एक्ट की धारा—13 के अनुसार पूर्ण समझा जायेगा।

Abshay Singh

B. Singh



अतः यह न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) लिख दी कि प्रमाण रहे ओर समय पर काम आवें।

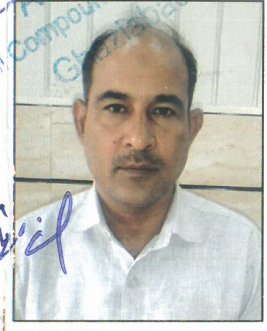
Akshay Singh

B. Singh

गवाह: साजिद हुसैन पुत्र मौ० यासीन
निवासी-51, अशोक विहार, लोनी देहात, गाजियाबाद।
(आधार नं०-3723 4211 7016)

Sajid

Sajid



गवाह: श्री योगेश कुमार पुत्र स्व० श्री दाता राम
निवासी-8, अशोक विहार, लोनी, गाजियाबाद

Yogesh Kumar

दिनांक: 18-10-2021 ई०



SHANTANU
Advocate
Tehsil Compound Loni
Ghaziabad

आवेदन सं०: 202101028030079

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 1127 के पृष्ठ 193 से 226 तक क्रमांक
9247 पर दिनांक 18/10/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी० एस० वर्मा
उप निबंधक : लोनी
गाजियाबाद
18/10/2021

